

## उत्तराखण्ड में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में **उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय** ने राज्य सरकार को एक वर्ष के भीतर **राजस्व पुलिस की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने** और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों को न्यिमति पुलिस को सौंपने का नरिदेश दिया है।

- उत्तराखण्ड देश का एकमात्र राज्य है जहाँ **राजस्व पुलिस की व्यवस्था न्यिमति पुलिस के साथ-साथ मौजूद है।**

### मुख्य बढि:

- राजस्व पुलिस, जो **राजस्व वभिाग के अधिकारियों द्वारा संचालित** होती है, के पास **सीमति शक्तियाँ** हैं और इसके अधिकार क्षेत्र में केवल पहाड़ी राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र आते हैं।
- उच्च न्यायालय ने **वर्ष 2018** में भी राज्य से राजस्व पुलिस की लगभग एक सदी पुरानी प्रथा को हटाने का आदेश दिया था।
- **राज्य कैबिनेट** ने चरणबद्ध तरीके से **राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने** के लिये **अक्टूबर 2022** में एक प्रस्ताव पारित किया था।
- **वर्ष 2004** में **नवीन चंद्रा बनाम राज्य सरकार** के मामले में **सर्वोच्च न्यायालय** ने इस व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता समझी।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राजस्व पुलिस को न्यिमति पुलिस की तरह प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है।
  - बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण राजस्व पुलिस के लिये **किसी अपराध की समीक्षा करना कठिन** हो जाता है।

### राजस्व पुलिस व्यवस्था (Revenue Police System)

- उत्तराखण्ड में **राजस्व पुलिस प्रणाली 1800 के दशक** में अस्तित्व में आई जब **टहिरी के शासकों ने गोरखाओं के हाथों अपने क्षेत्र खो दिये**।
  - उन्होंने भुगतान के बदले में अंग्रेजों से **गोरखाओं को गढ़वाल से बाहर निकालने का अनुरोध** किया। युद्ध के बाद शासक भुगतान करने में असमर्थ रहे और बदले में **अंग्रेजों ने गढ़वाल का पश्चिमी भाग अपने पास रख लिया**।
  - वर्तमान उत्तराखण्ड में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों और खनजियों से **राजस्व एकत्रित करने के लिये अंग्रेजों ने मुगल प्रशासन के समान पटवारी, कानूनगो, लेखपाल आदि पदों के साथ एक राजस्व प्रणाली लागू की**।
    - यह नरिणय लिया गया कि उत्तराखण्ड के पहाड़ी हिस्सों में **किसी विशेष पुलिस की आवश्यकता नहीं है** क्योंकि पहाड़ियों पर बहुत कम अपराध होते हैं और इसलिये एक समर्पित पुलिस बल रखना अनावश्यक समझा गया।